न्यायालय सहायक कलेक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी– डॉ गौरव सैनी, आई.ए.एस

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री कुंवर सिंह पुत्र श्री मोतीसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम ओर तहसील आबूरोड 2. श्री भारत सिंह पुत्र मोती सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम ओर, तहसील आबूरोड 3. श्री विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री मोती सिंह, जाति राजपूत, निवासी आबूरोड		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार आबूरोड

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा_136 भू राजस्व अधिनियम, एवं धारा 151 सीपीसी

राजस्व वाद संख्या / 1 /2020

दिनांक 20-10–2020

निर्णय

यह कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा_136 भू राजस्व अधिनियम, एवं धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा ग्राम ओर पटवार हल्का ओर तहसील आबूरोड में प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है।

खसरा संख्या	क्षेत्रफल बीघा–बिस्वा
364/2	0.1391
372	0.2529
373	0.0379
374	0.0379
375	0.2403
551	1.4542
746	0.2276
कुल किता–7	कुल 2.3899 हैक्टेयर

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में से खसरा संख्या 746 की पूर्व में एक चक भूमि थी, जिसका कुल रकबा 0.4921 (01 बीघा 19 बिस्वा) था। उक्त खसरा संख्या 746 की भूमि के मध्य में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 गुजरने के कारण कुल रकबा 0.4921 (01 बीघा 19 बिस्वा) में से 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि (0.2655 हैक्टेयर) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भूमि अवाप्त की गई थी। जिस कारण तत्समय खसरा संख्या 746 कुल रकबा 0.4921 (01 बीघा 19 बिस्वा) भूमि तीनो भागो में अलग–अलग विभक्त होकर एक भाग नया बना खसरा संख्या 1141/746 क्षेत्रफल 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि (0.2655 हैक्टेयर) गैर मुमकिन सडक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ एवं उसी अनुसार ऑन लाईन नक्शे में भी दर्ज किया गया।

यह कि अवाप्ति के पश्चात प्रार्थीगण के दो भाग शेष रहें जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्व दिशा की ओर 0.1264 हैक्टेयर भूमि एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के पश्चिम दिशा की ओर 0.1012 हैक्टेयर भूमि विभक्त हो गयी, जो दोनो भाग राजस्व नक्शे में प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने थे, किन्तु सहवन से खसरा नम्बर 746 कुल रकबा 0.4921 (1 बीघा 19 बिस्वा) भूमि को तीन भागो के स्थान पर राजस्व नक्शे में भूलवंश सहवन से दो भाग में अंकित कर दिए साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्व दिशा की ओर स्थित प्रार्थीगण की 0.1264 हैक्टेयर भूमि भी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण [illegible] राजस्व नक्शे में भूलवश सहवन से अंकित कर दी, जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है जिस[illegible] [illegible] न्यायहित में अतिआवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 09:57:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आबू-पर्वत

न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत (राजस्थान)

हमने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जो तामिल शुदा प्राप्त होने से शामिल पत्रावली किये गये। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के कथन स्वीकार कि मौजा ओर के खसरा नंबर 746 के तीन भाग दर्ज होने थे जो सहवन से नक्शा में दो ही भाग दर्ज हुए है। जिसे तीन भागों में दर्ज किया जाना उचित है।

हमने उभय पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अनुसार मौजा ओर के खसरा नंबर 746 रकबा एक बीघा उन्नीस विस्वा को तीन भागो मे, जिसमे दो भाग प्रार्थीगण के क्रमशः दस विस्वा एवं आठ विस्वा एवं एक भाग 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि (0.2655 हैक्टेयर) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भूमि अवाप्त की जाने से उनके नाम रहेगी एवं उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड मे शुद्धि किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। मौजा ओर के खसरा नंबर 746 रकबा एक बीघा उन्नीस विस्वा को तीन भागो में, जिसमे दो भाग प्रार्थीगण के क्रमशः 10 विस्वा एवं 8 विस्वा एवं एक भाग 01 बीघा 01 बिस्वा भूमि (0.2655 हैक्टेयर) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भूमि अवाप्त की जाने से उनके नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर उक्तानुसार ही नक्शे मे अंकन किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20-10-20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत (राजस्थान)

(डॉ गौरव सैनी) I.A.S.
सहायक कलक्टर,आबूपर्वत
सहायक कलक्टर
आबू-पर्वत

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2021.01.19 09:57:50 IST
Reason: SelfAttested